न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	
19/5/22	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली पर पुनः बहस सुनी गई। संक्षिप्त मे पत्रावली का सार इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र धारा 111, 128 अन्तर्गत भू॰ राजस्व अधि॰ पेश की गई एवं प्रार्थी द्वारा अनुतोष चाहा गया कि आराजी हाल खसरा नम्बर 678 रकबा 1.0600 बीघा वाके ग्राम पालफर तहसील कोटकासिम की कब्जे काश्त की आराजी है। तो वाद मे विवादित आराजी कहलावेगी विवादित आराजी के लगती आराजी के काश्तकार प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 आये रोज प्रार्थी की डोल को मिसमार करते रहते है। इस से परेशान होकर दिनांक 10/6/2019 को श्रीमान तहसीलदार साहब के आदेश क्रमांक 6/515/2019 की पालना मे पैमाईश करवाई। रिपोर्ट संलग्न पत्रावली है। फिर श्रीमान तहसीलदार साहब ने पैमाईश के मुताबिक पैमाईश करने से इन्कार करते हुए कहा की पहले पैमाईश रिपोर्ट के अनुसार पत्थरगढी के सक्षम न्यायालय से आदेश लेकर आओ अतः प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर, पत्थरगढी के आदेश फरमाया जावे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की विधिवत तामिल करवाई गई। सूचना बावजूद प्रतिवादीगण अनुपस्थित। उनकी अनुपस्थिति दर्ज की गई। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराया गया एवं निवेदन किया की विवादित खसरा नम्बर 678/1.06 बीघा वाके ग्राम पालफर तहसील कोटकासिम प्रार्थिगणो की कब्जे काश्त की आराजी है एवं उसकी पैमाईश दिनांक 10/6/2019 को करवाई जा चुकी है एवं अन्त मे निवेदन किया की मुताबिक पैमाईश रिपोर्ट पत्थरगढी करवाई जावे। प्रार्थीगण के अधिवक्ता की ध्यानपूर्वक बहस एवं सुसंगत दस्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट है। कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 678/1.06 बीघा प्रार्थीगण की कब्जे	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,कोटकासिम

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
	काश्त की आराजी है एवं तहसीलदार के आदेशानुसार 10/6/2019 को पैमाईश की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न पत्रावली है प्रार्थीगण की स्वंय की आराजी होने एवं पैमाईश रिपोर्ट के आधार पर यह न्यायालय प्रार्थना पत्र को स्वीकार योग्य पाता है
	अतः आदेश है कि प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार कोटकासिम को आदेशित किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 678/1-06 बीघा से लगती हुई आराजीयात के सभी काश्तकारो एवं प्रभावित पक्षो को पूर्वसूचित कर, उनकी उपस्थिति मे पुनः पैमाईश कर कर पत्थरगढी करवाया जाना सुनिश्चित करे। एक माह मे पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट पेश करे पत्रावली नम्बरान से कम होकर रेकर्ड भण्डार हो।
	आदेश मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया
	(हस्ताक्षर) 19/5/22